



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221345
CG-DL-E-26082020-221345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2540]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942

No. 2540]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

का.आ. 2867(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 10.10.2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 3659(अ) के पैरा 5 के तहत सारिणी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11.10.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3678(अ) के माध्यम से जोड़े गए क्रम सं. 9क और उससे संबंधित प्रविष्टि की जगह निम्नवत पढ़ा जाए:

क्र.सं.	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	नामित सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
9क	जम्मू तथा कश्मीर चिकित्सा परिषद	डॉ. सलीम-उर-रहमान

[सं. वी.11013/01/2019-एमईपी]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2020

S.O. 2867(E).—In the notification number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) under paragraph (5), in the Table, the serial number 9A and the entries relating thereto, inserted vide notification number S.O. 3678(E) dated 11th October, 2019 of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India shall be substituted as under:-

Sr. No.	Name of the State Medical Council	Name of Nominated Member
(1)	(2)	(3)
9A.	Jammu and Kashmir Medical Council	Dr. Saleem-Ur-Rehman

[No.V.11013/01/2019-MEP]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.